न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0—1, अम्बेडकरनगर।
उपस्थितः— राम विलास सिंह 'उच्चतर न्यायिक सेवा'

UPAN010000112025

Sessions Case/1/2025

सरकार ------अभियोजन पक्ष

बनाम

1. श्यामलाल आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र श्रीपति
2. मेवालाल आयु लगभग 32 वर्ष पुत्र श्रीपति
3. रवि आयु लगभग 29 वर्ष पुत्र राजकुमार

समस्त निवासीगण ग्राम मदुआना, थाना—जहांगीरगंज, जनपद—अम्बेडकरनगर। ——————**अभियुक्तगण**

एन0सी0आर0सं0—34 / 2012
धारा—323,504,506 भा0दं0सं0
थाना—जहांगीरगंज,
जनपद—अम्बेडकर नगर।

निर्णय

1. अभियुक्तगण श्यामलाल,मेवालाल व रवि का विचारण उपरोक्त सत्र परीक्षण वाद में थाना—जहॉगीरगंज, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र एन.सी.आर संख्या—34 / 2012 अंतर्गत् धारा—323,504,506 भा.द.सं. के आधार पर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अशोक कुमार पुत्र हुबरन निवासी ग्राम—मदुआना थाना जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर द्वारा इस आशय की मौखिक सूचना थाना जहांगीरगंज पर अंकित करायी गयी है कि विपक्षी श्यामलाल, श्रीपति निवासी उपरोक्त से मैं कह रहा था कि तुम्हारा भतीजा रवि हमारी लड़की से फोन से बात करता है, मना कर दो, इतने पर विपक्षी गाली गलौज देने लगा। गाली गलौज सुनकर वहां पर अर्जुन तथा मेरी पत्नी मीरा भी आ गयी। विपक्षी उपरोक्त श्यामलाल चार नफर हाथ में लाठी डंडे लेकर मारने पीटने लगे तथा लात मारे पीटे, जिससे मेरे परिवार के लोगों को चोटे आयी तथा लोगों के हटाने बचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करें।''

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.03.10 12:31:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. उक्त जुबानी सूचना के आधार पर दिनांकः 29.03.2012 को समय 10:30 बजे एन0सी0आर0 संख्या–34/2012 अर्न्तगत् धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 दर्ज की गयी तथा न्यायालय के आदेश से विवेचना आरम्भ की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले से संबंधित साक्षियों के साक्ष्य अंकित किये गये तथा अभियुक्तगण श्यामलाल, मेवालाल व रवि के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुए धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 18. 11.2016 को संज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्तगण श्यामलाल, मेवालाल व रवि के विरूद्ध दिनांक 18.08. 2018 को धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

5. हस्तगत प्रकरण, मु0अ0सं0–62/2012 का क्रास केस है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है, जिस कारण अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियुक्तगण की पत्रावली सत्र न्यायालय प्रेषित की गयी।

6. अभियुक्तगण सत्र न्यायालय में उपस्थित आये। सत्र न्यायालय से पत्रावली विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई, जहां पत्रावली का विचारण किया गया।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षण कराया गया हैः–

क्रम सं0	**साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**	**साक्षी का प्रकार**
1	पी0डब्लू0 1	अशोक कुमार	वादी मुकदमा
2	पी0डब्लू0 2	मीरा वर्मा	चोटहिल साक्षी
3	पी0डब्लू0 3	अर्जुन	चोटहिल साक्षी
4	पी0डब्लू0 4	डा0 श्रीराम विश्वकर्मा	चिकित्सक साक्षी
5	पी0डब्लू0 5	हीरालाल	विवेचक

8. अभियोजन की ओर से, उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

9. अभियोजन पक्ष द्वारा जो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनको दौरान विचारण सुसंगत साक्ष्य द्वारा प्रमाणित एवं सिद्ध कराया गया है, जिनको प्रदर्श से कमबद्ध किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैंः—

कम सं0	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**	**सिद्ध करने वाला साक्षी**
1	प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—155(2) दं0प्र0सं0	प्रदर्श क—1	पी.डब्लू. 1 अशोक कुमार, वादी
2	चोटहिलों की आघात आख्या	प्रदर्श क—2 प्रदर्श क—3 प्रदर्श क—4	पी.डब्लू. 4 डा0 श्रीराम विश्वकर्मा
3	नक्शा नजरी	प्रदर्श क—5	पी.डब्लू. 5 हीरालाल
4	आरोप—पत्र	प्रदर्श क—6	पी.डब्लू. 5 हीरालाल
5	एन0सी0आर0 की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श क—7	पी.डब्लू. 5 हीरालाल
6	नकल रपट की छायाप्रति	प्रदर्श क—8	पी.डब्लू. 5 हीरालाल

10. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना को गलत बताया गया तथा तथ्य के साक्षीगण के बयान के संबंध में गलत व रंजिशन बयान दिया जाना कहा गया तथा यह भी कथन किया गया है कि— ''वादी मुकदमा व उसके परिवार वाले मिलकर प्रार्थी/अभियुक्त व उसके पिता श्रीपति को मारा पीटा, गाली गुप्ता दिया, जान से मारने की धमकी दी जिससे मेरे पिता श्रीपति की मृयु हो गयी। जिस पर प्रार्थीगण की तरफ अपराध संख्या—62/2012 मुकदमा लिखाया गया। इसी केस से बचने व क्रास केस बनाने के लिये झूठा मुकदमा लिखा गया। धक्का मुक्की में वादी की तरफ के लोगों को चोट आ गई थी।''

11. बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य में सूची के माध्यम से अपराध संख्या—62/12 के आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व नक्शा नजरी की प्रमाणित प्रति दाखिल किया गया तथा आदेश पत्रक पर अन्य कोई सफाई साक्ष्य न देने का अंकन किया गया।

12. मैंने प्रस्तुत मामले में राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यकरूपेण अवलोकन किया।

13. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 29.03.2012 को समय 8.00 बजे दिन स्थान ग्राम मदुआना थाना जहॉगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर में अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को मार पीट कर साधारण उपहति कारित किया,भद्दी–भद्दी गालियॉ दिया व जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य से एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से ाटना की पुष्टि होती है और अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

14. उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं और अभियोजन, अभियोग कथानक को संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है। अभियोग मिथ्या है। अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभास है। वादी मुकदमा व उसके परिवार वाले मिलकर प्रार्थी/अभियुक्त व उसके पिता श्रीपति को मारे पीटे, गाली गुप्ता दिया, जान से मारने की धमकी दिये जिससे उसके पिता श्रीपति की मृत्यु हो गयी। जिस पर प्रार्थीगण की तरफ अपराध संख्या–62/2012 मुकदमा लिखाया गया। इसी केस से बचने व क्रास केस बनाने के लिये झूठा मुकदमा लिखा गया। धक्का मुक्की में वादी की तरफ के लोगों को चोट आ गई थी। अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

15. आपराधिक प्रकरण में सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार होता है कि अभियोजन, अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे। अब देखना यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 के आरोप को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

अभियोजन साक्ष्य

16. अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू. 1 अशोक कुमार** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, ''मैं आज न्यायालय द्वारा जारी समन पर गवाही देने पहचान–पत्र के रूप में आधार कार्ड लेकर आया हूं, जिसकी छायाप्रति पत्रावली में दाखिल कर रहा हूं। घटना दिनांकः 29.03.2012 समय करीब आठ बजे सुबह की है, उपरोक्त मुकदमे के मुल्जिमान

श्यामलाल, मेवालाल, रवि व सिरपत जो मेरे गांव के है, के घर मैं शिकायत लेकर गया कि श्यामलाल का भतीजा रवि कुमार मेरी लड़की से फोन पर बात कर रहा था, मेरी शिकायत करने पर नाराज होकर श्यामलाल, मेवालाल, रवि व सिरपत मुझे व मेरे परिवार को मां–बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए लाठी डंडे से मारे पीटे, जिससे मुझे, मेरी पत्नी मीरा और भतीजा अर्जुन को काफी चोटें आयी। आस–पास के तमाम लोग घटना स्थल पर इकट्ठा हो गये, लोगों ने बीच बचाव किया, मल्जिमान जान से मारने की धमकी भी दिये थे, मैंने थाने पर जाकर मौखिक सूचना के आधार पर उपरोक्त मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस वालों ने हम लोगों के शरीर पर आयी, चोटों का डॉक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल जहांगीरगंज में कराया था। मैंने न्यायालय के समक्ष 155(2) जा0फौ0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस प्रार्थना पत्र के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त मुकदमे की विवेचना हुई, पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था, मैंने उन्हें घटना स्थल दिखाया था, साक्षी ने 155(2) जा0फौ0 के प्रार्थना पत्र पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर प्रदर्श–क1 डाला गया।''

17. अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू. 2 मीरा** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, ''मैं आज न्यायालय द्वारा जारी समन पर गवाही देने पहचान–पत्र के रूप में आधार कार्ड लेकर आयी हूं, जिसकी छायाप्रति पत्रावली में दाखिल कर रही हूं। घटना दिनांक आज से करीब बारह–तेरह साल पहले सुबह के समय की है, वर्ष 2012 था। उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्त श्यामलाल, मेवालाल, रवि व सिरपत मेरे गांव के है, मेरे पति अशोक कुमार, श्यामलाल से शिकायत किये थे कि आपका भतीजा रवि कुमार मेरी लड़की से फोन पर बात कर रहा था, शिकायत करने पर नाराज होकर श्यामलाल, मेवालाल, रवि व सिरपत मेरे पति अशोक कुमार व हम लोगों को मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए लाठी डंडे से मारे पीटे, जिससे मुझे, मेरे पति अशोक कुमार और भतीजा अर्जुन को काफी चोटें आयी। पड़ोस के तमाम लोग घटना स्थल पर एकत्रित हो गये, लोगों ने बीच बचाव किया था, मुझे रवि ने डंडे से मारा था। मुल्जिमान हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी दिये थे, मेरे पति थाने पर जाकर मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस वालों ने हम लोगों के शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल जहांगीरगंज में कराया था। घटना के संबंध में पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था।''

18. अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू. 3 अर्जुन प्रताप** को परीक्षित

कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, ''मैं आज न्यायालय द्वारा जारी समन पर गवाही देने पहचान–पत्र के रूप में आधार कार्ड लेकर आया हूं, जिसकी छायाप्रति पत्रावली में दाखिल कर रहा हूं। घटना दिनांकः 29.03.2012 समय 08 बजे सुबह की है, उपरोक्त मुकदमे के मुल्जिमान श्यामलाल, मेवालाल, रवि व सिरपत जो मेरे गांव के है, श्यामलाल के घर मेरे चाचा अशोक शिकायत लेकर गये थे और कहे कि रवि कुमार मेरी लड़की से फोन पर बात कर रहा था, तब श्यामलाल के परिवार व मेरे चाचा अशोक के परिवार के मध्य कहा सुनी हुई। नाराज होकर दोनों तरफ से लाठी डंडे से मारपीट हुई, सभी लोग एक दूसरे को गाली भी दे रहे थे। दोनों पक्ष के लोगें को चोटे आयी। आस–पास के तमाम लोग घटना स्थल पर इकट्ठा हो गये, लोगों ने बीच बचाव किया, सभी लोग एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे, मारपीट में मुझे भी चोटें आयी थी, मुझे राजकुमार की पत्नी धनदेई ने मारा था, मैंने घटना के पहले रवि और मेरे चाचा अशोक की लड़की अंजली को नाजायज संबंध बनाते हुए देखा थे, जिसके बाद मैंने रवि पुत्र राजकुमार को मारा भी था, पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था।''

19. अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू. 4 सेवानिवृत्त डा0 श्रीराम विश्वकर्मा** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, ''मैं आज न्यायालय द्वारा जारी समन पर गवाही देने आया हूॅ। मैं दिनांकः 29.03.2012 को पी0एच0सी0 नरियाव, जो सी0एच0सी0 जहांगीरगंज के अन्दर है, जनपद–अम्बेडकरनगर में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था, उस दिन उपरोक्त मुकदमे के चोटहिल अशोक कुमार पुत्र हुबरन, मीरा पत्नी अशोक कुमार व अर्जुन पुत्र शिवकुमार समस्त निवासीगण ग्राम मदुआना, थाना–जहांगीरगंज, जनपद–अम्बेडकरनगर को मेरे समक्ष मेडिकल परीक्षण हेतु थाना जहांगीरगंज के होमगार्ड जयप्रकाश द्वारा लाया गया था, चोटहिल की पहचान साथ में आये होमगार्ड द्वारा की गयी, मैंने चोटहिलों का पहचान चिन्ह् अंकित करने के पश्चात् उनके शरीर पर आयी चोटों का डॉक्टरी मुआइना दिनांकः 29.03.2012 को किया था, मेडिकल परीक्षण के दौरान चोटहिल अशोक को चोट नं0–1 नीलगूयुक्त चोट, चोटनं0–2 व चोट नं0–3 खरोच पायी गयी थी तथा चोटहिल अर्जुन की चोट नं0–1 व चोट नं0–3 खरोच तथा चोट नं02 फटा हुआ घाव था तथा चोटहिल मीरा की चोट नं0–1 फटी हुआ घाव तथा चोट नं0–2 खरोच थी। तीनों चोटहिलों की सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो किसी कुन्दालय से पहुंचायी गयी प्रतीत हो रही थी, जो

आधो दिन के अन्दर की थी, जो दिनांकः 29.03.2012 समय करीब आठ बजे के आस–पास की होना सम्भव है। तीनों चोटहिलों का मेडिकल रिपोर्ट मैंने बरवक्त मुआइना अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जो शामिल पत्रावली प्रमाणित प्रति मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर क्रमशः प्रदर्श–क2, प्रदर्श–क3 व प्रदर्श–क4 डाला गया।''

20. अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू. 5 उपनिरीक्षक हीरालाल यादव** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि, ''मैं दिनांकः 08.06.2016 को थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था, उपरोक्त मुकदमे की विवेचना थाना प्रभारी के आदेश पर मुझे प्राप्त हुई। मैं विवेचना में मसरूफ हुआा। थाना कार्यालय से उपरोक्त मुकदमे की एन0सी0आर0 की प्रति व अन्य कागजात मुझे प्राप्त हुए, जिनका नकल अवलोकन करने के पश्चात् मैंने उसी दिन पर्चा नं0–1 किता किया, जिसमें नकल जुबानी वादी नकल रपट मजरूब अशोक, अर्जुन , मीरा का मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया। 155(2) सीआर0पी0सी0 का भी अवलोकन किया। एफ0आई0आर0 लेखक सच्चिदानन्द राय का बयान जरिये मोबाइल अंकित किया। तत्पश्चात् वादी के घर जाकर वादी/चोटहिल अशोक कुमार का बयान अंकित किया। अशोक कुमार के निशानेदही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया तथा चोटहिल मीरा, अर्जुन का बयान अंकित किया। तत्पश्चात् साक्षी श्श्यामदेव, रामसुभम, समई साक्षी रामबदन का बयान अंकित किया। अभियुक्तगण के मिलने पर अभियुक्तगण श्यामलाल, मेवालाल व रवि का बयान अंकित किया। तमामी विवेचना के आधार पर एन0सी0आर0 में नामित अभियुक्त श्रीपति की नामजदगी गलत पाई गई तथा अभियुक्तगण श्यामलाल, मेवालाल व रवि के विरूद्ध धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो शामिल पत्रावली है, नक्शा नजरी पर प्रदर्श–क5 व आरोप–पत्र पर प्रदर्श–क6 डाला गया। उपरोक्त मुकदमे की एन0सी0आर0 की प्रमाणित प्रति दौरान विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी तथा साथ में नकल रपट प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई, वह शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर क्रमशः प्रदर्श–क7 व प्रदर्श–क8 डाला गया।''

21. अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर उसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया। अब न्यायालय को यह देखना है कि, क्या अभियुक्तगण पर जिन आपराधिक धाराओं में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है और

जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे अभियुक्तगण पर अपराध बिना संदेह के पूरी तौर पर साबित होता है अथवा नहीं? अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु साक्षी पी. डब्लू.1 के रूप में **अशोक कुमार** को परीक्षित कराया गया है जो प्रकरण का वादी मुकदमा है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि–''**घटना दिनांकः 29.03.2012 समय करीब आठ बजे सुबह की है, उपरोक्त मुकदमे के मुल्जिमान श्यामलाल, मेवालाल, रवि व श्रीपति जो मेरे गांव के है, के घर मैं शिकायत लेकर गया कि श्यामलाल का भतीजा रवि कुमार मेरी लड़की से फोन पर बात कर रहा था, मेरी शिकायत करने पर नाराज होकर श्यामलाल, मेवालाल, रवि व श्रीपति मुझे व मेरे परिवार को मां–बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए लाठी डंडे से मारे पीटे, जिससे मुझे, मेरी पत्नी मीरा और भतीजा अर्जुन को काफी चोटें आयी। आस–पास के तमाम लोग घटना स्थल पर इकट्ठा हो गये, लोगों ने बीच बचाव किया, मल्जिमान जान से मारने की धमकी भी दिये थे,** मैंने थाने पर जाकर मौखिक सूचना के आधार पर उपरोक्त मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस वालों ने हम लोगों के शरीर पर आयी, चोटों का डॉक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल जहांगीरगंज में कराया था। मैंने न्यायालय के समक्ष 155(2) जा0फौ0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस प्रार्थना पत्र के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त मुकदमे की विवेचना हुई, पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था, मैंने उन्हें घटना स्थल दिखाया था, साक्षी ने 155(2) जा0फौ0 के प्रार्थना पत्र पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर प्रदर्श–क1 डाला गया।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह मुल्जिमान के घर घटना के दिनांक को शिकायत लेकर गया था कि श्यामलाल का भतीजा रवि मेरी लड़की से फोन पर बात करता है। इसी बात पर नाराज होकर अभियुक्तगण श्यामलाल,मेवालाल,रवि व श्रीपति ने उसे व उसके परिवार वालों को मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियॉ देते हुए लाठी डण्डे से मारा पीटा जिससे उसे व उसकी पत्नी व भतीजा अर्जुन को चोटें आयी। इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किए जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–''घटना के बाद से मुल्जिमान के घर आना–जाना,खाना–पीना नहीं है। मेरी बड़ी लड़की का नाम अंजली है। मैंने अपनी पुत्री अंजली और अभियुक्त रवि कुमार को बात करते हुए देखा एवं सुना नहीं था, मैं बताने से जानता हूँ कि

दोनों एक–दूसरे से बात करते है। जानकारी होने पर मैं अपने परिवार के साथ रवि के घर पर शिकायत लेकर गया था। रवि के घर पर मुल्जिमान से मेरी बातचीत कहासुनी में बदल गयी। कहासुनी लगभग दस–पॉच मिनट तक हुई थी।........ कहासुनी धक्का मुक्की में हम लोगों को चोटें आयी थी और मुल्जिमान को भी चोटें आयी थी। चोट लगने के बाद मैं अपने परिवार के साथ थाने गया था और जुबानी सूचना दिया था। ....इस विवाद में मेरी पत्नी मीरा, भतीजा अर्जुन को चोटे आयी थी, जैसराज को चोट नहीं आयी थी। इसी विवाद में आयी चोटों के कारण अभियुक्तगण की तरफ से श्रीपति को चोटें आयी थी जिससे उनकी मृत्यु हो गयी थी।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा मार पीट में उसे,उसकी पत्नी व भतीजे को चोटें आना कहा है तथा अभियुक्तगण की तरफ से श्रीपति को चोटें आना व उनकी मृत्यु हो जाना भी कहा गया है। इसप्रकार इस साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि घटना के दिनांक को दोनों पक्षों में कहासुनी व वाद विवाद हुआ था और उसी कहासुनी, वाद विवाद व मार पीट में दोनों पक्षों को चोटें आयी थी। इसप्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तार से जिरह की गयी है किन्तु इसके साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिसका बचाव पक्ष को कोई लाभ मिल सके।

अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू.2 के रूप में मीरा** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि–''घटना दिनांक आज से करीब बारह–तेरह साल पहले सुबह के समय की है, वर्ष 2012 था। उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्त श्यामलाल, मेवालाल, रवि व सिरपत मेरे गांव के है, **मेरे पति अशोक कुमार, श्यामलाल से शिकायत किये थे कि आपका भतीजा रवि कुमार मेरी लड़की से फोन पर बात कर रहा था, शिकायत करने पर नाराज होकर श्यामलाल, मेवालाल, रवि व सिरपत मेरे पति अशोक कुमार व हम लोगों को मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए लाठी डंडे से मारे पीटे, जिससे मुझे, मेरे पति अशोक कुमार और भतीजा अर्जुन को काफी चोटें आयी। पड़ोस के तमाम लोग घटना स्थल पर एकत्रित हो गये, लोगों ने बीच बचाव किया था, मुझे रवि ने डंडे से मारा था। मुल्जिमान हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी दिये थे,** मेरे पति थाने पर जाकर मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस वालों ने हम लोगों के शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल जहांगीरगंज में कराया था। घटना के संबंध में पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा भी अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि

अभियुक्तगण श्यामलाल,मेवालाल,रवि व श्रीपति ने उसके पति अशोक व उसे व भतीजा अर्जुन को मारा पीटा था व गालियां तथा जान से मारने की धमकी दिया था। इसप्रकार इस साक्षी द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किए जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–''मैं अपनी लडकी अंजली से अभियुक्त रवि को बात करते हुए अपने ऑखों से न तो देखा था न सुना था। केवल हम लोग यह शंका करते थे कि मेरी लडकी अंजली अभियुक्त रवि से बात करती है। इसी शंका के आधार पर मेरे पति मुल्जिमानों के घर पूछतॉछ करने गये थे। जब मेरे पति मुल्जिमानों के घर शिकायत करने गये थे तब मुल्जिमानों और मेरे पति के मध्य कहासुनी होने लगी थी। इसी कहासुनी के दौरान मौके पर 10–15–20 लोग इकट्ठा हो गये थे। शोर सुनकर मैं भी मौके पर पहॅुच गयी थी। इसी धक्का मुक्की में चोटें आयी थी। फिर कहा कि मुझे रवि ने डण्डे से मारा था। ....खून सर से गिरा था। खून जमीन पर गिरा था और कपडों में लगा था। खून लगा कपडा मैं दरोगा जी को दिखाई थी। दरोगा जी कपड़ा नहीं लिए थे,क्यों नहीं लिए थे मुझे नहीं पता। झगड़ा में मुल्जिमान रवि,सिरपत,मेवालाल व श्यामलाल को चोटें आयी थी और हम लोगों को भी चोटें आयी थी।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में भी अभियुक्तगण से मार पीट होना कहा है तथा उक्त मारपीट में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आना भी कहा है। इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तार से जिरह की गयी है परन्तु इसके जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिसका बचाव पक्ष को कोई लाभ मिल सके।

अभियोजन द्वारा **साक्षी पी.डब्लू.3 के रूप में अर्जुन प्रताप** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि–''घटना दिनांकः 29.03.2012 समय 08 बजे सुबह की है, उपरोक्त मुकदमे के मुल्जिमान श्यामलाल, मेवालाल, रवि व सिरपत जो मेरे गांव के है, **श्यामलाल के घर मेरे चाचा अशोक शिकायत लेकर गये थे और कहे कि रवि कुमार मेरी लड़की से फोन पर बात कर रहा था, तब श्यामलाल के परिवार व मेरे चाचा अशोक के परिवार के मध्य कहा सुनी हुई। नाराज होकर दोनों तरफ से लाठी डंडे से मारपीट हुई, सभी लोग एक दूसरे को गाली भी दे रहे थे। दोनों पक्ष के लोगें को चोटे आयी।** आस–पास के तमाम लोग घटना स्थल पर इकट्ठा हो गये, लोगों ने बीच बचाव

किया, सभी लोग एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे, मारपीट में मुझे भी चोटें आयी थी, मुझे राजकुमार की पत्नी धनदेई ने मारा था, मैंने घटना के पहले रवि और मेरे चाचा अशोक की लडकी अंजली को नाजायज संबंध बनाते हुए देखा थे, जिसके बाद मैंने रवि पुत्र राजकुमार को मारा भी था, पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा भी घटना के समय दोनों पक्षों में मार पीट व गाली गलौज होना कहा गया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किए जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि–''रवि और अंजली के संबंधो की बात मैं अपने चाचा–चाची को बतायी थी। मेरे अलावा और कोई नहीं बताया था। घटना के दो दिन पहले मैं बताया था। रवि व अंजली को मैंने रंगे हाथ पकड़ा था। ....मेरे चाचा केवल मोबाइल से बात करने वाली बात जाने थे। वही बात मुल्जिमानों के घर पूछने गये थे। घटना के संबंध में दरोगा जी मुझसे पूछतॉछ किये थे।........जब मैं पहुॅचा आसपास के 25–30 लोग मौजूद थे। विवाद करीब आधा घण्टा चला होगा और आपस में धक्का मुक्की भी हुई थी। मुझे धनदेई ने मारा था। मुझे धनदेई ने एक डण्डा मारा था जिससे मेरे सर पर एक चोट आयी थी जिससे खून बह रहा था। खून मेरे कपडों में लगा था। ....इसी झगडे में श्यामलाल,श्रीपति,मेवालाल व रवि को भी चोटें आयी थी। घटना के तीसरे दिन श्रीपति की मृत्यु हो गयी थी।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा भी अपने बयान में घटना के दिन दोनों पक्षों में मार पीट व गाली गलौज होना कहा गया है तथा यह भी कथन किया गया है कि दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आयी थी।

साक्षी **पी.डब्लू.4 के रूप में सेवानिवृत्त डा0 श्रीराम विश्वकर्मा** को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि–''मैं दिनांकः 29.03.2012 को पी0एच0सी0 नरियाव, जो सी0एच0सी0 जहांगीरगंज के अन्दर है, जनपद– अम्बेडकरनगर में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था, उस दिन उपरोक्त मुकदमे के **चोटहिल अशोक कुमार** पुत्र हुबरन, **मीरा** पत्नी अशोक कुमार व **अर्जुन** पुत्र शिवकुमार समस्त निवासीगण ग्राम मदुआना, थाना–जहांगीरगंज, जनपद–अम्बेडकरनगर को मेरे समक्ष मेडिकल परीक्षण हेतु थाना जहांगीरगंज के होमगार्ड जयप्रकाश द्वारा लाया गया था, चोटहिल की पहचान साथ में आये मोमगार्ड द्वारा की गयी, मैंने चोटहिलों का पहचान चिन्ह् अंकित करने के पश्चात् उनके शरीर पर आयी चोटों का डॉक्टरी मुआइना दिनांकः 29.03.2012 को किया था, मेडिकल परीक्षण के दौरान **चोटहिल अशोक को चोट नं0–1 नीलगूयुक्त चोट, चोटनं0–2 व**

चोट नं0–3 खरोच पायी गयी थी तथा **चोटहिल अर्जुन की चोट नं0–1 व चोट नं0–3 खरोच तथा चोट नं072 फटा हुआ घाव था तथा चोटहिल मीरा की चोट नं0–1 फटी हुआ घाव तथा चोट नं0–2 खरोच थी। तीनों चोटहिलों की सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो किसी कुन्दालय से पहुंचायी गयी प्रतीत हो रही थी, जो आधो दिन के अन्दर की थी,** जो दिनांकः 29.03.2012 समय करीब आठ बजे के आस–पास की होना सम्भव है। तीनों चोटहिलों का मेडिकल रिपोर्ट मैंने बरवक्त मुआइना अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जो शामिल पत्रावली प्रमाणित प्रति मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर क्रमशः प्रदर्श–क2, प्रदर्श–क3 व प्रदर्श–क4 डाला गया।'' इसप्रकार इस विशेषज्ञ साक्षी द्वारा भी अपने बयान में चोटहिलों को चोटें आना साबित किया है जिससे भी अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

पी.डब्लू.5 के रूप में हीरालाल यादव उपनिरीक्षक को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि–''मैं दिनांकः 08.06.2016 को थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था, उपरोक्त मुकदमे की विवेचना थाना प्रभारी के आदेश पर मुझे प्राप्त हुई। मैं विवेचना में मसरूफ हुआ। थाना कार्यालय से उपरोक्त मुकदमे की एन0सी0आर0 की प्रति व अन्य कागजात मुझे प्राप्त हुए, जिनका नकल अवलोकन करने के पश्चात् मैंने उसी दिन पर्चा नं0–1 किता किया, जिसमें नकल जुबानी वादी नकल रपट मजरूब अशोक, अर्जुन , मीरा का मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया। 155(2) सीआर0पी0सी0 का भी अवलोकन किया। एफ0आई0आर0 लेखक सच्चिदानन्द राय का बयान जरिये मोबाइल अंकित किया। तत्पश्चात् वादी के घर जाकर वादी/चोटहिल अशोक कुमार का बयान अंकित किया। अशोक कुमार के निशानेदही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया तथा चोटहिल मीरा, अर्जुन का बयान अंकित किया। तत्पश्चात् साक्षी श्श्यामदेव, रामसुभम, समई साक्षी रामबदन का बयान अंकित किया। अभियुक्तगण के मिलने पर अभियुक्तगण श्यामलाल, मेवालाल व रवि का बयान अंकित किया। तमामी विवेचना के आधार पर एन0सी0आर0 में नामित अभियुक्त श्रीपति की नामजदगी गलत पाई गई तथा अभियुक्तगण श्यामलाल, मेवालाल व रवि के विरूद्ध धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो शामिल पत्रावली है, नक्शा नजरी पर प्रदर्श–क5 व आरोप–पत्र पर प्रदर्श–क6 डाला गया। उपरोक्त मुकदमे की एन0सी0आर0 की प्रमाणित प्रति दौरान विवेचना

<u>मुझे प्राप्त हुई थी तथा साथ में नकल रपट प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई, वह शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर क्रमशः प्रदर्श–क7 व प्रदर्श–क8 डाला गया।</u>'' यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है।

22. इसप्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना के दिनांक को एक राय होकर वादी मुकदमा व अन्य को मार पीटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया गया, उन्हें गालियां दी गयी तथा जान से मारने की धमकी दिया गया। साक्षियों के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि घ टना के दिनांक व समय पर दोनों पक्षों में मार पीट हुई और दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आयी जिसके संबंध में प्रस्तुत प्रकरण का क्रास केस इसी न्यायालय में चल रहा है जो आज निर्णय हेतु नियत है।

उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण **श्यामलाल,मेवालाल व रवि** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण **श्यामलाल,मेवालाल व रवि** धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **श्यामलाल,मेवालाल व रवि** को धारा–323,504,506 भा.द.सं.में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। अतः उनके व्यक्तिगत बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभुगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067

दिनांक–09.03.2026

लंच बाद पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण श्यामलाल,मेवालाल व रवि के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीस अधिवक्ता फौजदारी को सुना गया। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई के समय अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। घर के अकेले कमाने वाले व्यक्ति हैं तथा परिवार की जीविका उन्हीं पर निर्भर है। अभियुक्तगण अत्यन्त वृद्ध व बीमार व्यक्ति है। अतः सदाचरण पर अवमुक्त किया जाय।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर वादी मुकदमा व उसके परिवार वालों को मार कर साधारण उपहति कारित किया गया, उन्हें भद्दी–भद्दी गालियां दी गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्तगण को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित करने की याचना की गयी।

अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर वादी मुकदमा व उसके परिवार वालों को मार कर साधारण उपहति कारित किया गया, उन्हें भद्दी–भद्दी गालियां दी गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी जिसका अपराध साबित है। इसप्रकार अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को निम्न दण्ड से दण्डित किये जाने का पर्याप्त एवं न्यायोचित आधार है जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होना सम्भव है।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **श्यामलाल,मेवालाल व रवि** को धारा–323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत छःमाह–छःमाह के साधारण कारावास एवं मु0–500/–,500/– रूपये (पॉच सौ–पॉच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्तगण को 07–07 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **श्यामलाल,मेवालाल व रवि** को धारा–504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत एक साल–एक साल के साधारण कारावास एवं मु0–1,000/–,1000/– रूपये (एक हजार–एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से

दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्तगण को 10–10 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **श्यामलाल,मेवालाल व रवि** को धारा– 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत एक साल–एक साल के साधारण कारावास एवं मु0–1,000/–,1000/– रूपये (एक हजार– एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्तगण को 10–10 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि नियमानुसार सजा में समायोजित होगी। सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट बनाया जाये।

अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067

दिनांक–09.03.2026

यह निर्णय/दण्डादेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया ।

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067

दिनांक–09.03.2026